



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243848
CG-DL-E-23022023-243848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944

No. 103]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

फा. सं. 18-31/13610-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि एम.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, 421, भाखामऊ, थाना – बसाहा, जिला लखनऊ – 226026, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा पोस्ट बेसिक बी.एससी(एन) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, प्रमुख सचिव, (H&FW) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 5वीं मंजिल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, विधान सभा रोड, हज़रतगंज, लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-31/13610-आईएनसी दिनांक 04/05/2022 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 04/05/2022 की एक प्रति एम.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, 421, भाखामऊ, थाना – बसाहा, जिला लखनऊ – 226026, उत्तर प्रदेश को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि एम.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के मामले में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्थान द्वारा कोई भी अभीष्ट कार्यवाही नहीं की गई।

जबकि, परिषद् ने इस मामले पर समग्र विचार किया है। दिनांक 19/07/2021 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई तरह की कमियां हैं, विशेष रूप से नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित कमियां।

अब इसप्रकार, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947 की धारा 14(3)(बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 08/09/2022 से आगे एम.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, 421, भाखामऊ, थाना – बसाहा, जिला लखनऊ – 226026, उत्तर प्रदेश से पोस्ट बेसिक बी.एससी(एन) की योग्यता रखने वाला हर एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आदेश के अधीन केवल उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./630/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2023

F. No. 18-31/13610-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **M.S. Institute of Nursing** situated at **421, Bhakhamau, Post – Basaha, District Lucknow – 226026, Uttar Pradesh** is recognized by State Government of Pradesh and Uttar Pradesh Nurses & Midwives Council to conduct Post Basic B.Sc(N) Course.

Whereas, a notice no. 18-31/13610-INC dated 04/05/2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (H&FW), Department of Health and Family Welfare, Government of Uttar Pradesh, 05th Floor, Vikas Bhawan, Janpath Market, Vidhan Sabha Road, Hazratganj, Lucknow – 226001 Uttar Pradesh was issued. Copy of the notice dated 04/05/2022 was also enclosed to **M.S. Institute of Nursing** situated at **421, Bhakhamau, Post – Basaha, District Lucknow – 226026, Uttar Pradesh**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **M.S. Institute of Nursing**. Even no action, as required, has been taken by the institution.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 19/07/2021 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 08/09/2022 any person holding a recognized qualification of **Post Basic B.Sc(N)** from **M.S. Institute of Nursing** situated at **421, Bhakhamau, Post – Basaha, District Lucknow – 226026, Uttar Pradesh** shall be entitled to be registered only in the State of **Uttar Pradesh** subject to the orders of State government of Uttar Pradesh.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./630/2022-23]